परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY, MUMBAI

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

एईईएस/ एयू/एफ4/ 2023-24/ 07 जून, 2023

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए बालवाटिका-III और कक्षा-I के लिए प्रवेश परिपत्र (प.ऊ.वि. वार्डों के लिए)

इस परिपत्र में प.ऊ.वि., इसकी संघटक यूनिटों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों, परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) के पूर्ण नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए बालवाटिका-III और कक्षा-I में प्रवेश हेतु के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया नीचे दिए बिंदु संख्या 3 में दी गई है।

1) प्रवेश के लिए पात्रता:

I. **पात्रता मानदंड के आधार पर बालवाटिका- III और कक्षा-I में प्रवेश दिया जाएगा।**

II. प.ऊ.वि. सचिवालय, इसकी संघटक यूनिटों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों, परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) के पूर्ण नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र हैं। ऐसे सभी बच्चों को प.ऊ.वि. वार्ड के रूप में माना जाएगा। प.ऊ.वि. और इसकी संघटक यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियों के त्यागपत्र या हटाने के मामले में, और यदि वे अपने बच्चों को परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों में पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें अपनी सेवाओं से निर्गम की तारीख से गैर-प.ऊ.वि. वार्डों के समान शुल्क दरों पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

III. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारियों के बच्चे और अन्य जिनके लिए प.ऊ.शि.सं./प.ऊ.वि. का विशिष्ट अनुमोदन अस्तित्व में होगा, को प्रवेश प.ऊ.वि. बच्चों के समान तब तक विचारणीय होगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी प.ऊ.वि. की यूनिटों में कार्यरत रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को प.ऊ.वि. कर्मचारियों के बच्चों के समान शुल्क देना होगा। प.ऊ.वि. या इसकी संघटक यूनिटों से कर्मचारियों के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी। यदि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारी प.ऊ.वि. यूनिटों से बाहर अपने स्थानांतरण पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं तो कर्मचारी को गैर-प.ऊ.वि. बच्चों के लिए निर्धारित दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

IV. ऐसे प.ऊ.वि. कर्मचारी जो अधिवर्षिता प्राप्त हैं या सेवा काल में मृत हो गए हैं या सेवा काल में अविधिमान्य हो गए हैं, उनके बच्चों को प्रवेश के लिए प.ऊ.वि. बच्चों के समान माना जायेगा।

V. परमाणु ऊर्जा विभाग की संपर्क यूनिटों में कार्यरत खुफिया ब्यूरो कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश प.ऊ.वि. बच्चों के समान तब तक माना जायेगा जब तक खुफिया ब्यूरो कर्मचारी परमाणु ऊर्जा विभाग की संपर्क यूनिटों में कार्यरत रहते हैं। खुफिया ब्यूरो कर्मचारी के प.ऊ.वि. के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को प.ऊ.वि. कर्मचारियों के बच्चों के समान शुल्क देना होगा। प.ऊ.वि. या इसकी संघटक यूनिटों से कर्मचारियों के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी। यदि खुफिया ब्यूरो कर्मचारी प.ऊ.वि.

यूनिटों से बाहर अपने स्थानांतरण पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं तो कर्मचारी को गैर-प.ऊ.वि. बच्चों के लिए निर्धारित दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।

2) प्रवेश के लिए आयु मानदंड:

परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् है: (1 **अप्रैल को जन्म लेने वाले बच्चों पर भी विचार किया जायेगा)**

कक्षा	श्रेणी	जिस वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है उस वर्ष 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु	जिस वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है उस वर्ष 1 अप्रैल को अधिकतम आयु
बलवाटिका- III	प.ऊ.वि.	5 वर्ष	6 वर्ष
क्लास- I	प.ऊ.वि.	6 वर्ष	8 वर्ष

1) <u>प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया:</u>

सभी प.ऊ.कें. विद्यालयों के लिए लागू	1. प्रवेश के लिए आवेदन पत्र परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत् भरे हुए फॉर्म को रु. 100 के आवेदन शुल्क के साथ प्रवेश प्रदान करने के आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प.ऊ.के. विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय में जमा किया जाना चाहिए। **या** प्रवेश के लिए आवेदन पत्र रु. 100/- के आवेदन शुल्क का भुगतान करके किसी भी प.ऊ.के. विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, विधिवत् भरा हुआ फॉर्म प्रवेश प्रदान करने के आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प.ऊ.के. विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय में जमा करना होगा। **नोट: माता-पिता जो केंद्र के किसी भी प.ऊ.के. विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहते हैं, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र केंद्र के समन्वयक प.ऊ.के. विद्यालय में जमा किया जाए। अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति के साथ परामर्श से केंद्र के प.ऊ.के. विद्यालयों में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार समन्वयक प्राचार्य विद्यालय आवंटित करेंगे।** 2. प्रवेश प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने हेतु विद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने से पहले, माता-पिता को अपने बच्चों का मूल विवरण एक ऑनलाइन फॉर्म में भरना होगा, जिसके लिए प.ऊ.के. विद्यालय विद्यालय की वेबसाइट पर लिंक प्रदान करेगा। **अणुशक्तिनगर, मुंबई स्थित विद्यालयों के लिए:** उपरोक्त व्यक्तिगत विवरण, माता-पिता का विवरण, पता विवरण, भाई-बहन का विवरण और संपर्क विवरण ऑनलाइन जमा हो जाने के बाद, माता-पिता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत् भरा और सभी तरह से पूर्ण प्रवेश पत्र प.ऊ.के. विद्यालय को जमा करना होगा। विद्यालय भुगतान किए जाने वाले शुल्क के विवरण के साथ एक पावती रसीद जारी करेगा। इसके बाद, आवेदक को 'एसबी कलेक्ट' [डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीज़ा/रूपे) और नेट बैंकिंग] के माध्यम से विद्यालय शुल्क का भुगतान करना होगा और प्रवेश की पुष्टि के लिए किए गए शुल्क भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य जमा करना होगा। प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा प.ऊ.के.वि.-2, मुंबई और प.ऊ.के.वि.-4, मुंबई के परिसर में दो प्रवेश हेल्पडेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शुल्क भुगतान के समय रु. 100/- का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। यदि प्रवेश के लिए ऑनलाइन विवरण जमा करने में माता-पिता को कोई समस्या आती है, तो वे प.ऊ.के.वि.-2, मुंबई और प.ऊ.के.वि.-4, मुंबई में उपलब्ध हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य दिवसों में अपराह्न 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक हेल्पडेस्क सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। **हेल्पडेस्क संपर्क नंबर:** प.ऊ.के.वि.-2, मुंबई – 022-25509732 और प.ऊ.के.वि.-4, मुंबई – 022-25580619

4) प्रवेश समय-सारणी:

सभी प.ऊ.के. विद्यालयों/कनिष्ठ महाविद्यालयों के लिए बालवाटिका-III और कक्षा-I के लिए प्रवेश कार्यक्रम

क्र.सं.	अनुसूची	तारीख	समय
01	**बालवाटिका-III एवं कक्षा-I** के लिए प्रवेश फॉर्म का वितरण	08/06/2023 से 13/06/2023	सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
02	सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ विधिवत् भरे प्रवेश फॉर्म जमा करना	08/06/2023 से 13/06/2023	सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक
03	**बालवाटिका-III एवं कक्षा-I** में प्रवेश के लिए पात्र एवं अर्ह पाए गए विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित करना	15/06/2023	सुबह 10.00 बजे
04	**बालवाटिका-III और कक्षा-I** के लिए प.ऊ.वि. वार्डों का प्रवेश	15/06/2023 से 19/06/2023	सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक

टिप्पणी:

(i) केन्द्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्व अनुमोदन के बिना समय-सारणी में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

(ii) आवेदन/प्रवेश पत्र जमा करना, चयन सूचियों का प्रदर्शन, अंतिम प्रवेश आदि आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित प.ऊ.के. विद्यालय में किया जाएगा। एक से अधिक विद्यालय वाले केंद्रों पर आवासीय क्षेत्राधिकार का विचार किए बिना प्रवेश देने में स्थानीय प्रबंधन समिति/परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

5) शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में प्रवेश पाने के इच्छुक प.ऊ.वि. विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क:

I. प्रवेश के समय अन्य शुल्क के साथ प्रवेश शुल्क रु. 100/- का भुगतान करना होगा।

II. प.ऊ.वि. श्रेणियों के सभी वार्डों से टर्म/वार्षिक आधार (अर्थात् एक शैक्षणिक सत्र के छह महीने/बारह महीने) पर अन्य शुल्क प्रवेश प्रदान करने के समय लिए जायेंगे। टर्म शुल्क के भुगतान के संबंध में, दूसरे टर्म का शुल्क का भुगतान उसी शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में किया जाना चाहिए।

III. प.ऊ.वि., सी.आई.एस.एफ., आईबी और अन्य केंद्र सरकार कर्मचारी के किसी भी वार्ड के लिए किसी भी प्रकार की कोई शुल्क रियायत लागू नहीं होगी ।

IV. प.ऊ.वि. श्रेणियों के तहत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए शुल्क:

कक्षा	शिक्षण शुल्क	पीयूवीवीएन शुल्क	कंप्यूटर शुल्क
बलवाटिका-III	**रु. 900/- प्रति माह**	**रु. 300/- प्रति माह**	**लागू नहीं**
कक्षा-I	**रु. 900/- प्रति माह**	**रु. 300/- प्रति माह**	**रु. 30/- प्रति माह**

छूट: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वार्डों के संबंध में जिनकी तीसरी संतान बालिका है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के संबंध में, केवल शिक्षण शुल्क के भुगतान की छूट इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुति के अधीन उपलब्ध है कि उनके विभाग द्वारा तीसरे बच्चे को संतान शिक्षा भत्ता नहीं दिया जाता है।

6) प.ऊ.के. विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

क) नगरपालिका/ नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या संबंधित क्षेत्र के राजस्व/ पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पृष्ठांकित पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/ ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र की जगह शपथपत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

ख) आवेदक और माता-पिता के आधार कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी / स्कैन की गई कॉपी (साथ में माता-पिता की आईडी की अनुप्रमाणित प्रति के साथ)।

ग) माता-पिता के पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोप्रति/स्कैन की गई प्रति

घ) आवंटन आदेश/पता प्रमाण (आवेदक के प.ऊ.वि. कॉलोनी के बाहर निवास करने की अवस्था में) की स्व-सत्यापित फोटोप्रति/स्कैन की गई प्रति

ङ) यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य से संबंधित है (कृपया जाति और श्रेणी निर्दिष्ट करें और बच्चे के जाति प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)

च) वर्ष 2022-23 में अध्ययन की पिछली कक्षा का अंक/ग्रेड कार्ड।

टिप्पणी:

1. प.ऊ.वि. बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) को प्रवेश सामान्यत: आवासीय क्षेत्राधिकार के अनुसार दिया जायेगा। हालांकि, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था और इसके प्रतिनिधि स्थानीय प्रबंधन समिति के पास विद्यार्थी के विद्यालय में अध्ययनरत रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी विद्यार्थी को उस केंद्र/आवासीय कालोनी के प.ऊ.के. विद्यालयों में स्थानांतरित/अदला-बदली करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. इसके अलावा, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई सूचना किसी भी चरण में गलत पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. यदि बच्चे का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यदि प्रवेश परिपत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूप में कोई विसंगति पाई जाती है तो प्रवेश परिपत्र के अंग्रेजी रूप को अंतिम माना जायेगा।

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के बारे में सामान्य जानकारी के लिए कृपया www.aees.gov.in देखें। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ यह सूचना पत्र वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

अनुलग्नक: प.ऊ.वि. वार्डों के लिए बालवाटिका-III और कक्षा-I में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र।

07/06/2023

(दिलीप सिंह)
प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शैक्षणिक इकाई
प.ऊ.शि.सं., मुंबई

सभी प्रमुख, प.ऊ.कें. विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
2. अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंध समिति, प.ऊ.कें.वि./कनिष्ठ महाविद्यालय
3. प्रमुख कार्मिक प्रभाग, भा.प.अ.कें. (व्यापक प्रचार हेतु अनुरोध सहित सूचना पट्ट के लिए 10 प्रतियाँ)
4. रजिस्ट्रार, टीआईएफआर, मुंबई- 400 005
5. मु.प्र.अ., भा.पा.बो. कार्यालय, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
6. मु.प्र.अ., डीसीएस एंड ईएम, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
7. सी.ए. एंड ए.ओ., टीएमसी, परेल, मुंबई-400012
8. निदेशक, यू.एम.-डी.ए.ई. सेन्टर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, नालंदा, नैनो साइंस बिल्डिंग के सामने, मुंबई विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, मुंबई-400098
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई-400094
10. प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शै.इ., प.ऊ.शि.सं., मुंबई-400094
11. अवर सचिव, प्रशासन, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई – 400 001
12. प्रबंधक, कार्मिक, एनपीसीआईएल, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
13. प्रशासनिक अधिकारी- III, प.ऊ.शि.सं., मुंबई-400094
14. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीएस, वीएस भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
15. प्रशासनिक अधिकारी, एचबीसीएसई, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
16. प्रशासनिक अधिकारी, ब्रिट, तुर्भे, नवी मुंबई-400703
17. प्रशासनिक अधिकारी, एईआरबी, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
18. उप-प्रधानाचार्य एवं उप-प्रमुख, शैक्षणिक इकाई, प.ऊ.शि.सं., मुंबई-400 094
19. लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई-400 094
20. सहायक लेखा अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., (वेतन/पेंशन/बिल/ भ.नि.) मुंबई
21. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., (भ. एवं सं./ स्था. एवं स.) मुंबई
22. डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ, प.ऊ.शि.सं, मुंबई
23. मास्टर फाइल